साज़िश, सदमा और सियासत

बाटला हाउस के दस साल

रिहाई मंच
Rihai Manch

110/60, Harinath Banerjee Street,
Naya Gaaon (E), Latouche Road, Lucknow- 226001

भूमिका

भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सत्ता में आने के बाद से गौहत्या या लव जिहाद को लेकर संगठित हमले खासकर मुसलमानों और दलितों को पीटपीट कर मार डालना, वैचारिक मतभेदों के चलते हिंसा और बुद्धिजीवियों की हत्या, पत्रकारों और समाजिक कार्यकर्ताओं पर हमले और सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग करते हुए 'अर्बन नक्सल' जैसी शब्दावली गढ़कर फर्जी तरीके से राजद्रोह जैसे गंभीर मुकदमे कायम करना, सामान्य सी बात हो गई है। कहीं पुलिस प्रशासन ऐसे अपराध करनेवालों के सामने मूक–बधिर बना रहता है तो कहीं स्वयं आपराधिक भूमिका में दिखाई देता है।

यह अचानक नहीं हुआ है। इससे पहले कांग्रेसी शासनकाल में ही इसकी पृष्ठिभूमि तैयार हो चुकी थी। जब आतंकवाद के नाम पर कैद बेगुनाहों के साथ अदालतों में पेशियों के दौरान मारपीट, बार एसोसिएशनों द्वारा आतंक आरोपियों के मुकदमे न लड़ने के असंवैधानिक फरमान और अधिवक्ताओं पर हिंसक हमलों के समाचार तत्कालीन सत्ता, पुलिस प्रशासन या न्यायपालिका को विचलित नहीं करते थे। तब भी यह संस्थाएं ऐसे आपराधिक और संविधान विरोधी हमलों पर चुप थीं या मूक समर्थक बनी हुई थीं। लगभग सभी राज्यों में यही हालत थी, कांग्रेस शासित राज्यों की स्थिति और बुरी थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस–एनसीपी की सरकार में आतंकवाद के आरोपी कतील सिद्दीक़ी की जेल में हत्या कर दी गई थी। आज की तरह ही उस समय भी ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों को कानून बड़ी मुश्किल से कुछ मामलों में ही अपनी गिरफ्त में ले पाता था और उसमें भी कुछ ही समय बाद अधिकतर अपराधी दोषमुक्त हो जाया करते थे।

निश्चित रूप से तत्कालीन कांग्रेस सरकार की रूचि ऐसे अपराधों पर नियंत्रण के बजाए उन्माद बढ़ाने और प्रोत्साहित करने की थी। परिस्थितियां ऐसी बनाई गईं कि कई राज्यों में सुरक्षा के नाम पर खुली अदालतों के बजाए आतंकवाद के आरोप में कैद नौजवानों के मुकदमों की सुनवाई जेलों में होने लगी। ऐसे में सबसे अधिक दिक्कत आरोपियों के परिवारजनों को होती है, सुरक्षा की दृष्टि से भी और आर्थिक मोर्चे पर भी। साथ ही पारदर्शिता के अभाव में अधिवक्ताओं को कई तरह के दबाव

का सामना होता है। लेकिन आतंकवाद के हर आरोपी के लिए परिस्थितियां एक जैसी नहीं थीं।

महाराष्ट्र में ही जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एटीएस ने अदालत में पेश किया तो हिंसक हमलों का स्थान पुष्प वर्षा ने ले लिया। बार कौंसिल ने मुकदमा न करने का फरमान जारी नहीं किया बल्कि वकीलों की बड़ी जमात मुकदमा करने के लिए लाइन में खड़ी हो गई। आतंक आरोपियों के परिजनों के पास इतना महंगा मुकदमा लड़ने कि लिए पैसे कहां से आते हैं इस सवाल का जवाब ढूंढने के बजाए घोषित रूप से चंदा जमा किया जाने लगा और एजेंसियों को कोई आपत्ति नहीं हुई।

हालांकि मुसलमान आरोपियों के मामले में ऐसे लोगों को आतंकवादियों का समर्थक घोषित करने की धमकियां दी जाती थीं। आमतौर पर हर आतंकी हमले के बाद शुरूआती जांच से पहले ही मुसलमान और पाकिस्तान को घसीटने के अभ्यस्त नेता प्रतिपक्ष एल के अडवाणी ने इस गिरफ्तारी को लेकर एटीएस प्रमुख पर निशाना साधा और सरकार से नाराज़गी जताई। इतना सब कुछ घटित होने के बावजूद सरकार द्वारा कोई नोटिस न लिया जाना इस बात को साबित करता है कि एक खास सम्प्रदाय के आतंक आरोपियों के मामले में वह नहीं चाहती थी कि कानून को ठेंगा दिखाने वाले हमलावर अपराधियों का मनोबल गिरे बल्कि वह उस उन्माद को और बढ़ाना चाहती थी। जाहिर है कि ऐसा करने में उसे अपने लिए राजनीतिक लाभ दिखाई देता रहा होगा। लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए राजीव गांधी सरकार द्वारा बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने की कवायद उलटी पड़ जाने के अनुभव से कांग्रेस ने कुछ नहीं सीखा, जबकि अटल बिहारी बाजपेयी ने उस घटना के बाद स्पष्ट तौर पर कहा था कि कांग्रेस ताला खुलवा कर राजनैतिक लाभ लेना चाहती थी मगर हमने उसे कामयाब नहीं होने दिया। इतिहास ने एक बार फिर अपने आपको दोहराया और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई।

केंद्र में सरकार बदली तो उन हालात में मात्रात्मक बदलाव ही आया। आतंकवाद के नाम पर लिंचिंग न्यायालय परिसर से बाहर निकल कर सड़कों, चौराहों और खेत–खलिहानों तक पहुंच गई। उसका दायरा, लव जिहाद और गौहत्या के नाम पर मुसलमानों से बढ़कर दलितों तक पहुंच गया। लिंचिंग की घटनाओं में तेज़ी से बढ़ोत्तरी हुई। इतना ही नहीं पहले जो बात अपराधियों के खिलाफ लचर आरोप पत्र और नतीजे में अपराधियों के सस्ते में छूट जाने तक सीमित थी, बढ़कर उनके स्वागत और महिमामंडन तक पहुंच गई। अब वह माननीय बनाए जाने लगे। बिहार में भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री जयंत सिंहा ने लिंचिंग में हत्या के आरोपियों को ज़मानत मिलने पर फूल माला पहना कर अभिवादन किया। बात और आगे बढ़ी। सज़ायाफ्ता

आतंकियों का महिमामंडन किया जाने लगा। भावेश पटेल और सह अभियुक्त देवेंद्र गुप्ता को अजमेर दरगाह ब्लास्ट में अजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने भावेश को ज़मानत पर रिहा कर दिया। जब वह भरूच, गुजरात पहुंचा तो किसी हीरो की तरह उसका स्वागत किया गया। फूल बरसाए गए। कंधे पर उठाकर घुमाया गया। भगवा कपड़ों और पगड़ी में भावेश पटेल का स्वागत करनेवालों में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और भाजपा के सदस्यों के अलावा भाजपा की सत्तारूढ़ भरूच नगरपालिका के लोग मौजूद थे। कौंसिलरों के साथ भरूच नगरपालिका की अध्यक्षा सुरभि तमाखूवाला भी मौजूद थीं। दक्षिण गुजरात के विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता वीरल देसाई का इस अवसर पर दावा था कि ''भावेश पटेल बहुत कम आयु से ही आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा रहा है'' और उसके अनुसार ''भावेश पटेल भरूच की आरएसएस यूनिट का पदाधिकारी भी रह चुका है।''

हालांकि संघ साध्वी प्रज्ञा, स्वामी असीमानंद व अन्य की तरह भावेश के मामले में भी हमेशा संघ से जुड़े होने के आरोपों से इनकार करता रहा। मध्य प्रदेश में मिलिट्री इंटेलीजेंस के इनपुट पर आईएसआई के लिए जासूसी करने वालों का एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया। भाजपा और संघ से जुड़े लोग इस रैकेट का हिस्सा थे और उनका रिंग लीडर ध्रुव सक्सेना भाजपा के बड़े नेताओं का करीबी था। इसी तरह की पृष्ठिभूमि के कई और जासूस आईएसआई के लिए काम करते हुए पकड़े गए लेकिन कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ। कुछ समय की खामोशी के बाद वो भी बेगुनाह साबित हो जाएं तो आश्चर्य नहीं होगा।

इसी साल अगस्त महीने में एटीएस ने नालासोपारा, नवी मुम्बई स्थिति सनातन संस्थान के वैभव राउत के घर पर छापामारी की तो वहां से कई पिस्टल, स्विच, बैटरी और भारी मात्रा में बम और बम बनाने वाले पदार्थ बरामद हुए। इसी तरह की बरामदगी उसके अन्य साथियों शरद कालसकार और सुधानव घोंडलेकर के घरों से भी हुई। एटीएस का कहना था कि उसे उक्त मामले से जुड़े 6–7 स्लीपिंग माड्यूल्स का संदेह है जो त्योहारों के सीज़न में धमाके कर साम्प्रदायिक वैमनस्य पैदा करना चाहते थे। गिरफ्तारी के बाद पूरी भगवा फौज विरोध प्रदर्शन पर उतर आई और महाराष्ट्र सरकार ने उक्त एटीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। संदेश स्पष्ट है कि विधि विधान ताक पर रखकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का होना या न होना साम्प्रदायिक और वैचारिक आधार पर तय होगा और जो अहलकार और अधिकारी इस मंत्र को नहीं समझेंगे उनके लिए वहां जगह नहीं है।

उन्नाव में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जब पीड़िता के महीनों के संघर्ष और नतीजे के तौर पर रसूखदारों द्वारा उसके पिता की हिरासत में हत्या कराए जाने की कीमत पर बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया तो संघी संगठनों और भाजपा के लोग गिरफ्तारी के खिलाफ मैदान में आ गए। कठुआ बलात्कार पीड़िता के बलात्कारियों को बचाने के लिए भाजपा विधायक ने जुलूस निकाला, मुकदमा देख रही महिला वकील दीपिका रजावत को बलात्कार और जान से मारने की धमकी दी गई, अदालत में चार्जशीट फाइल करने में व्यवधान उत्पन्न किया गया लेकिन प्रशासन और न्यायालय को लोकतंत्र की याद नहीं आई और न ही अदालत की गरिमा को ठेस पहुंची। राजस्थान में मुस्लिम मज़दूर की हत्या कर वीडियो वायरल करनेवाले शम्भू लाल रेगर के पक्ष में न्यायालय परिसर में उग्र प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शनकारी न्यायालय की छत पर चढ़ गए, भगवा झंडा लहराया। कोई कड़ी कार्रवाई करने के बजाए प्रशासन प्रदर्शनकारियों की खुशामद में लगा रहा और न्यायधीश महोदय को न्यायालय के सम्मान और सम्प्रभुता की याद नहीं आई।

न्यायपालिका पर सत्ता की खुशामद के आरोप पहले भी लगते रहे हैं लेकिन विगत में जस्टिस लोया मामले में उच्चतम स्तर पर इसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस महेंशचंद्र शर्मा का बयान कि ''मोर सेक्स नहीं करता बल्कि मोरनी उसका आंसू पीकर गर्भधारण करती है इसलिए उसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जाना चाहिए'' या फिर 12 अगस्त को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बतौर कार्यभार संभालने वाले जस्टिस मुकेश रसिक भाई शाह का यह बयान कि ''मोदी एक मॉडल हैं। वह एक हीरो हैं'' न्यायपालिका के इतिहास में अभूतपूर्व है। इसको उपर्युक्त घटनाओं से जोड़ कर भी देखा जा सकता है।

मिसालें कई और भी हैं। इसके बावजूद अगर कोई मानता है कि यह सब अपने आप होता चला गया तो वह मूर्खों के स्वर्ग में रहता है। कहीं जेल से निकाल कर आतंकवाद के आरोपियों की एनकाउंटर में हत्या कर जेल से फरार होने की कहानियां गढ़ दी जाती हैं तो कहीं माओवादी कहकर बेगुनाह गरीब आदिवासियों की हत्या कर दी जाती है। भीमा कोरेगांव में दलितों पर हिंसक हमले करने के दोषी चैन की बंसी बजा रहे हैं और हिंसा के शिकार लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसकी साज़िशकर्ताओं के तार थाने या कोतवाली से नहीं बल्कि सत्ता की सबसे ऊंची दहलीज़ से जुड़ते नज़र आते हैं। जब इस तरह के शोषण और दमन के खिलाफ तथ्यों के साथ आवाज़ें बुलंद की जाती हैं और अदालतों में पैरवी के लिए पीड़ितों की कानूनी सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ते है, जो कि उनका कानूनी अधिकार है, तो ऐसा करने वाले मानवाधिकार नेताओं, पत्रकारों और वकीलों को ही निशाना बनाने

और स्वयं उन्हीं का दमन करने के लिए जांच/सुरक्षा एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है।

हकीकत यह है कि यह सब सत्ता के संरक्षण में होता रहा है और 2019 से पहले इससे भी भयानक दृश्य देखने को मिल सकते हैं। आतंक आरोपियों के मामलों में भी कई घटनाएं ऐसी घटी हैं जो हमारी न्याय व्यवस्था का उपहास उड़ाती प्रतीत होती हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मामले में जिस एनआईए ने आरोप पत्र दाखिल किया, सत्ता के बदलते ही उसने अदालत को बताया कि साध्वी के खिलाफ उसके पास सबूत नहीं हैं और इसी आधार पर उन्हें ज़मानत मिल गई। मालेगांव धमाका मामले की सरकारी वकील रोहणी सालियान पर खुद एनआईए के अधिकारी ने सत्ता में बैठे आक़ाओं के इशारे पर आरोपियों के खिलाफ पैरवी कमज़ोर करने की बात कही थी। इसे रोहणी साल्यान प्रेस से साझा कर चुकी हैं जिसके बाद उनको पदमुक्त कर दिया गया।

असीमानंद ने दिल्ली और अजमेर की अदालतों में मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत दिए गए बयान में अपना अपराध स्वीकार किया था और भारत तथा पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों को पत्र भी लिखा था लेकिन अजमेर ब्लास्ट केस में बेगुनाह साबित होकर बरी हो गया। कर्नल पुरोहित को उच्चतम न्यायालय से ज़मानत मिल गई और न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में उसके आठ लम्बे सालों तक जेल में रहने का उल्लेख भी किया है। ऐसे माहौल में आतंकवाद के आरोप में कैद मुस्लिम नौजवानों के मुकदमों की पैरवी और अदालतों से इंसाफ की उम्मीद खुद एक सवालिया निशान बन चुकी है। हकीम तारिक क़ासमी के मामले में लखनऊ जेल अदालत ने जिस तरह दोषी करार देकर उम्र कैद की सज़ा सुनाई है वह अविश्वसनीय है। जिस तारीख को अभियोजन द्वारा लिखित बहस और नज़ीरें पेश की जानी थीं अदालत ने बिना कुछ सुने उसी तारीख पर फैसला सुनाकर वहां मौजूद अधिवक्ताओं और आरोपियों को हैरत में डाल दिया। न्यायायिक इतिहास की यह अभूतपूर्व घटना है। इसके बावजूद कहीं आशा की हल्की सी किरण दिखाई पड़ती है तो पीड़ित परिजनों को उसी से मुकदमों की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए प्रोत्साहन मिल जाता है और यह संघर्ष उसी के सहारे आगे बढ़ता जाता है।

ऐसे बना दिया आजमगढ को आतंकगढ़

19 सितम्बर 2008 रमज़ान महीने के जुमा का दिन था। शाम का वक्त संजरपुर बाज़ार में लोग अफ्तार की खरीदारी में व्यस्त थे कि अचानक बड़े–बड़े कैमरे लहराते हुए पत्रकार एक के बाद दूसरी गाड़ियों से अवतरित होने लगे। सब कुछ सामान्य देखकर वे हैरत में थे और जनता इस अनोखे दृश्य को देखकर अवाक थी। कोई प्रतिक्रिया होता न देखकर उनमें से किसी ने शादाब उर्फ मिस्टर के घर के बारे में पूछा और फिर सभी गाड़ियों का रुख उनके घर की तरफ हो गया। पीछे–पीछे नौजवानों की भीड़ भी पहुंच गई। वहां भी सब कुछ सामान्य, अचानक एक पत्रकार ने किसी नौजवान से सवाल दागा ''आपके गांव के दो आतंकवादी बटला हाउस मुठभेड़ में मारे गए और एक पकड़ा गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे।'' इतना सुनना था कि नौजवान काबू से बाहर हो गए और उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। आतंकवाद के नाम पर फर्जीवाड़े की ताज़ा मिसाल तारिक क़ासमी की गिरफ्तारी के किस्से अभी लोगों की ज़बान पर थे।

हालांकि तारिक क़ासमी को बाराबंकी और लखनऊ की अदालतों ने दोषी करार दिया है लेकिन अदालती दांवपेंच अपनी जगह, दर्जनों लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि 12 दिसम्बर 2007 को हकीम तारिक कासमी को तबलीग़ी इज्तेमा में जाते हुए आज़मगढ़ शहर से 13 किमी पश्चिम लखनऊ मार्ग पर रानी की सराय चेकपोस्ट के पास से दिन के उजाले में एसटीएफ के अहलकारों ने उठाया था। ठीक इसी तरह 16 दिसम्बर 2007 को मड़ियाहूं से उठाए गए खालिद मुजाहिद के साथ 22 दिसम्बर 2002 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार दिखाया था। इस मुद्दे पर आज़मगढ़ और जौनपुर में 22 दिसम्बर से पहले ही धरना–प्रदर्शन शुरू हो गया था। अखबारों में उनके अपहरण की खबरें छपती थीं। चट्टी–चौराहों पर यह चर्चा का विषय हुआ करता था। जैसे ही उन दोनों को बाराबंकी से गिरफ्तार दिखाकर आतंकवादी बताया गया मीडिया का सुर बदल गया। जो मीडिया अब तक ''हकीम तारिक को ज़मीन खा गई या आसमान'', ''हकीम तारिक का नहीं मिला कोई सुराग़'' जैसे शीर्षक से खबरें छाप रहा था वह अचानक 'कुख्यात अपराधी' लिखने लगा। यह सभी यादें अभी

ताज़ा थीं फिर उस पर उसी मीडिया का यह सवाल कि 'आपके गांव के दो आतंकवादी बाटला हाउस में मुठभेड़ में मारे गए और एक गिरफ्तार हुआ' नौजवानों को आक्रोशित करने के लिए काफी था। इसी बहाने से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और संजरपुरवासी बाहरी दुनिया से कट गए। बाद में पता चला कि दिल्ली के जामिया नगर क्षेत्र में बाटला हाउस में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी जिसमें संजरपुर आज़मगढ़ के रहने वाले आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद (छोटा साजिद) मारे गए और मोहम्मद सैफ को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें इंडियन मुजाहिदीन का कुख्यात आतंकी बताते हुए 13 सितम्बर 2008 को दिल्ली में होने वाले सिलसिलेवार धमाकों का आरोपी बताया गया। उसके बाद गिरफ्तारियों और आरोपों का सिलसिला बढ़ता गया। 13 मई 2008 को होने वाले जयपुर धमाके, 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद धमाके और सूरत में विस्फोटक जब्ती केस के अलावा उत्तर प्रदेश की लखनऊ, फैज़ाबाद और वाराणसी कचहरियों के धमाकों से जोड़ दिया गया। कुछ समय और बीता तो दिलसुखनगर धमाका, दिल्ली जामा मस्जिद फायरिंग और आज़मगढ़ के कुछ अन्य लड़कों को मुम्बई से गिरफ्तार कर कोलकाता अमेरिकन सेंटर पर हुए हमले और मुम्बई लोकल ट्रेन धमाकों में भी आरोपी बना दिया गया। इस तरह जितने अनसुलझे धमाकों के पुराने केस थे सब हल कर लिए गए।

बाटला हाउस फर्जी मुठभेड़ की मॉनीटरिंग तत्कालीन गृहमंत्री भारत सरकार शिवराज सिंह पाटिल खुद कर रहे थे, दिल्ली की उस समय की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की भी उस एनकाउंटर पर नज़र थी। हालांकि दिल्ली स्पेशल सेल का दावा था कि उसके अहलकार अभी सुराग़ के लिए बाटला हाउस एल 18 कमरे में वोडाफोन के प्रतिनिधि बनकर गए थे लेकिन बात अचानक मुठभेड़ तक पहुंच गई। जबकि हक़ीकत यह है कि चुनिंदा पत्रकारों को एनकाउंटर की पहले से जानकारी थी। दिन में करीब 11 बजे, जो आमतौर से पत्रकारों के घर से निकलने का समय होता है, होने वाले इस एनकाउंटर को कवर करने के लिए वहां मौजूद थे। मीडिया में फर्जी कहानियों की भरमार थी, नाट्य रूपांतर दिखाए जाने लगे। आज़मगढ़ को आतंकगढ़ और आतंक की नर्सरी कहा जाने लगा। इसी तरह की एक खबर, जिसमें कहा गया था साजिद और आतिफ अमीन के बैंक खातों से बहुत अल्प समय में तीन करोड़ रूपयों का लेनदेन हुआ है, की पड़ताल की गई तो उनके खाते विगत सात सालों से ऑपरेट नहीं हुए थे और स्कॉलरशिप के लिए खुलवाए गए थे। उन दोनों खातों में कुल मिला कर करीब 2200 रूपये जमा थे। प्रमाण देने के बावजूद उक्त खबर का किसी मीडिया हाउस की तरफ से खण्डन तक नहीं किया गया।

जो कैद में हैं

19 सितम्बर 2008 को बाटला हाउस फर्जी मुठभेड़ के बाद विभिन्न आतंकी घटनाओं में लिप्त होने और इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य होने के आरोप में जनपद आज़मगढ़ के 14 नौजवानों को देश के विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार किया गया था जिनके नाम मोहम्मद सैफ, जीशान अहमद, साकिब निसार, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद हाकिम, मोहम्मद सरवर, सैफुर्रहमान अंसारी, शहज़ाद अहमद, सलमान अहमद, हबीब फलाही, असदुल्लाह अख्तर, मोहम्मद आरिज़ खान, आरिफ बदर, सादिक़ शेख और ज़ाकिर शेख हैं। आरिज़ खान को 14 फरवरी 2018 को दिल्ली स्पेशल सेल ने भारत–नेपाल सीमा से गिरफ्तार करने का दावा किया। मुफ्ती बशर की गिरफ्तारी अगस्त 2008 में उसके गांव बीनापारा से हुई थी। हकीम तारिक क़ासमी को हूजी का सदस्य और कचहरी धमाकों के आरोप में 2007 में ही गिरफ्तार किया जा चुका था। इस तरह आजमगढ़ से ऐसी कुल गिरफ्तारियों की संख्या 17 है। आईएसआईएस के नाम पर होने वाली अबू ज़ैद की गिरफ्तारी को लेकर यह संख्या 18 हो जाती है। अबू ज़ैद को सऊदी अरब से वापस आते हुए मुम्बई एअरपोर्ट से 4 नवम्बर 2017 को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल वह लखनऊ जिला जेल में निरुद्ध है।

मोहम्मद सैफ निवासी संजरपुर, आज़मगढ़ को 19 सितम्बर 2008 को बटला हाउस के एल–18 से ही गिरफ्तार किया गया। सैफ गोविंद वल्लभ पंत कालेज, जौनपुर से इतिहास में एमए करने के बाद इंगलिश स्पीकिंग और कमप्यूटर कोर्स करने के लिए अभी तीन महीना पहले ही दिल्ली गया था। इस बीच वह बीमार हो जाने के कारण अपने घर संजरपुर भी आया था। सैफ को जयपुर, अहमदाबाद और दिल्ली में आरोपी बनाया गया। उस पर गोरखपुर गोलघर धमाकों में लिप्त होने का भी आरोप है लेकिन अभी वहां उसे हाजिर नहीं किया गया है। संकट मोचन मंदिर हमले के मामले में भी यूपी एटीएस ने उससे पूछताछ की थी लेकिन उस केस में जांच एजेंसी के अगले कदम के बारे में परिजनों को कोई जानकारी नहीं दी गई है। सैफ दिल्ली जाने से पहले किसी भी बड़े शहर में कभी नहीं रहा। उसने एमए की पढ़ाई भी घर रह कर की थी। वह क्रिकेट का बेहतरीन खिलाड़ी रहा है। दिल्ली में तकरीबन तीन महीने रहा। इसी दौरान देश के तीन राज्यों के बड़े शहरों में हुए सिलसिलेवार धमाकों में लिप्त होने का उस पर लगा आरोप लोगों के लिए हैरानी का सबब है। यहां गौर करना होगा कि बटला हाउस कांड के बाद तमाम पुराने मामलों को इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ कर थोक के भाव आजमगढ़ के लड़कों को उनमें संलिप्त बताया गया।

जबकि इन मामलों में किसी दूसरे संगठन पर आरोप लगाया गया था और अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुकदमा भी चलाया जा रहा था। तो पुलिस की कहानियां खुद ही एक दूसरे को खारिज कर रहीं थी पर इसका खामियाजा सैफ जैसों को हुआ। उन पर विभिन्न राज्यों में मुकदमे पर मुकदमे लादे गए। संकटमोचन वाराणसी और गोरखपुर मामले में भी उसे आरोपी बनाया गया।

ज़ीशान अहमद निवासी बाज़ बहादुर, आज़मगढ़ आईआईपीएम नई दिल्ली से एमबीए कर रहा था और साथ–साथ एक प्राइवेट कंपनी मोनार्क इन्टरनेशनल में बतौर असिसटेंट मैनेजर काम भी करता था। बटला हाउस कांड के दिन वह परीक्षा देने गया हुआ था। परीक्षा के बाद उसे पता चला कि मीडिया में उसका नाम इस घटना से जोड़कर लिया जा रहा है तो उसने घर वालों को फोन किया। परिवार की राय पर वह एक स्थानीय चैनल के कार्यालय चला गया। चैनल वालों ने दिल्ली पुलिस को बुलाकर उसे सुपुर्द कर दिया। ज़ीशान को दिल्ली और अहमदाबाद बम धमाकों का आरोपी बनाया गया है। आतंकवाद जैसे किसी अपराध में लिप्त कोई भी व्यक्ति ऐसे नाज़ुक समय पर कम से कम फोन करने की हिमाकत तो कभी नहीं कर सकता। यह एक तरह से मीडिया के सामने आत्मसमर्पण करना था। लेकिन चैनल वालों ने भी इसे आत्मसमर्पण न दिखा कर पुलिस की मंशा के मुताबिक गिरफ्तारी ही बताया।

साकिब निसार निवासी भााहपुर, आज़मगढ़ का परिवार अस्थाई रूप से दिल्ली में रहता है। बटला हाउस घटना के समय वह मनीपाल यूनिवर्सिटी से डिस्टैंट एजुकेशन में एमबीए कर रहा था और साथ में टैलेंट प्रो० इंडिया एचआर में रिक्रूटमेंट असिस्टेंट के तौर पर कार्यरत था। बटला हाउस कांड के बाद दिल्ली स्पेशल सेल ने उससे अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की थी। उसने उन लड़कों को पढ़ने लिखने वाला व शरीफ बताया था। चिढ़कर पुलिस अधिकारियों ने उसे ही आरोपी बना दिया। साकिब को दिल्ली और अहमदाबाद धमाकों की साज़िश का आरोपी बनाया। सनद रहे कि 26 जूलाई 2008 को अहमदाबाद धमाकों के दिन वह दिल्ली में परीक्षा दे रहा था।

आरिफ नसीम निवासी संजरपुर, आज़मगढ़ लखनऊ में रह कर सीपीएमटी की तैयारी कर रहा था। उसे मुजाहिदीन का सदस्य बताते हुए उत्तर प्रदेश एटीएस ने 29 सितम्बर 2008 को चारबाग़, लखनऊ से गिरफ्तार दिखाया था। जबकि दरअसल उसे 24 सितम्बर को डॉलीगंज, लखनऊ से उठाया गया था। कहा गया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपना सिमकार्ड तोड़ कर मोबाइल फेंक दिया था। परन्तु आश्चर्यजनक रूप से उसी एटीएस का कहना था कि उसकी जेब से कुछ कागज़ात और नक्शे बरामद हुए थे जिनसे पता चलता है कि यूपी की कचहरियों में होने वाले सिलसिलेवार धमाकों में हूजी के साथ इंडियन मुजाहिदीन की सहभागिता थी। इसी कड़ी में आरिफ के रिश्तेदार शफीकुर्रहमान का कहना है कि 'यह बात सामान्य समझ से परे है कि जो व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना मोबाइल फेंक चुका हो

वह अपनी जेब में ही अपने गुनाहों का दस्तावेज़ी सबूत लेकर क्यों घूमेगा?' आरिफ नसीम को गिरफ्तारी के एक महीना बाद गुजरात एटीएस को सौंप दिया गया। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक वह अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है। लखनऊ कचहरी धमाके में उसे आरोपी बनाया गया था लेकिन अहमदाबाद में होने की वजह से नौ साल बाद भी इस केस में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बटला हाउस के बाद आजमगढ़ के नौजवनों को पुराने मामलों में फंसाए जाने की साजिश का शिकार आरिफ भी हुआ। उसका नाम यूपी कचहरियों में हुए विस्फोट से जोड़ा गया जिसका आरोप हुजी पर था और जिसमें गिरफ्तारियां होकर चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी थी। वहीं पुलिस की थ्योरी उसे इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य बताती है।

सलमान निवासी संजरपुर, आज़मगढ़ को 13 मार्च 2010 को सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। उस पर गोरखपुर गोलघर धमाकों का भी आरोप है। उस धमाके के समय उसकी उम्र 15 साल कुछ महीना ही थी। उस पर दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद के धमाकों में लिप्त होने का आरोप था। दिल्ली में आरोप तय करते समय अदालत ने उसे आरोपमुक्त कर दिया। उसके बाद उसे जयपुर ले जाया गया। करीब चार साल बाद उसे गोरखपुर धमाके के आरोप में अदालत में पेश किया गया। उसी दिन उसे जयपुर वापस भेज दिया गया। तीन साल गुजर गए और उसके परिवार वालों को अब तक नहीं मालूम कि गोरखपुर मामले में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है या नहीं। अहमदाबाद में सभी धमाकों को लेकर एक साथ मुकदमा चल रहा है। लेकिन सलमान के भाई अरमान के मुताबिक उसे अभी तक वहां पेश नहीं किया गया है। परिजनों का कहना है कि इसके लिए प्रयास किया गया लेकिन गुजरात एटीएस उसके मामले को लटका कर रखना चाहती है। उनकी चिंता है कि हिरासत के दिनों की गिनती कहां से भाुरु होगी। हाई स्कूल की मार्कशीट के मुताबिक सलमान का जन्म 3 अक्तूबर 1992 को हुआ था। इस एतबार से बटला हाउस मुठभेड़ के समय उसकी आयु 16 साल 15 दिन थी और गोरखपुर गोल घर धमाकों के समय 15 साल 7 महीना 19 दिन। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्दे" ा है लेकिन जयपुर सेशन कोर्ट ने उसे अनदेखा कर दिया। तब से मामला जयपुर हाईकोर्ट में है। किसी नाबालिग के लिए अधिकतम तीन साल की सज़ा का प्रावधान है तो भी जयपुर हाईकोर्ट में उसकी आयु का मामला ही पांच साल से लम्बित है। बटला हाउस के बाद आजमगढ़ के नौजवनों को पुराने मामलों में फंसाए जाने की साजिश का शिकार सलमान भी हुआ। उसका नाम गोरखपुर मामले से जोड़ा गया।

मोहम्मद सरवर निवासी चांद पट्टी, आज़मगढ़ को 19 जनवरी को उज्जैन, मध्यप्रदेश से रात 9 बजे उठाया गया और दो दिन बाद 21 जनवरी 2009 को टेढ़ी पुलिया, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारी दिखाई गई। जब सरवर को उज्जैन से उठाया गया तो उसके साथियों ने विरोध किया था लेकिन उठाने वालों ने खुद को पुलिस का बताया था। जिस गाड़ी से उसे ले जाया गया उस पर दिल्ली का नम्बर अंकित

था। चूंकि वह लोग सादे कपड़ों में थे इसलिए सरवर के साथियों ने अपहरण की आशंका के तहत थाना नीलगंगा, उज्जैन में 20 जनवरी 2009 को प्राथमिकी भी दर्ज करवाई थी। सरवर ने इन्टीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ से बीटेक किया था और गिरफ्तारी के समय वह आईसीएलए लिमिटेड, हैदराबाद की इंदौर शाखा में बतौर इंजीनियर कार्यरत था। सरवर को 13 मई 2008 को हुए जयपुर सीरियल ब्लास्ट का आरोपी बनाया गया था। सत्र परीक्षण संख्या 4/2010 के तहत मुकदमे की कार्रवाई चल रही है।

मुफ्ती बशर निवासी बीनापारा, आज़मगढ़ को बटला हाउस कांड और दिल्ली धमाकों से पहले ही 14 अगस्त 2008 को उसके गांव बीनापारा, आज़मगढ़ से उठाया गया था। इसके अगले दिन तमाम अखबारों में उसके उठाए जाने की खबरें भी प्रकाशित हुईं लेकिन उत्तर प्रदेश एटीएस ने उसे 16 अगस्त को लखनऊ से गुजरात एटीएस की साझेदारी में हुए ज्वाइंट आपरेशन में गिरफ्तार किए जाने का दावा किया था। बशर को 14 अगस्त को उसके गांव से अगवा किए जाने सम्बंधी सूचना उसी दिन उसके भाई ने ईमेल द्वारा राष्ट्रपति और मुख्य न्यायधीश, सर्वोच्च न्यायालय समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी थी। गांव के लोगों का कहना है बशर करीब एक महीने से अधिक समय से गांव में ही था और हर दिन सुबह सवेरे पक्षाघात के शिकार अपने पिता को टहलाने के लिए ले जाता था। बशर को अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, बेलगाम में आरोपी बनाया गया है। परिजन बताते हैं कि जयपुर के एक मामले में उसकी संलिप्पता बताई जाती है पर आज तक उसे वहां की अदालत में पेश नहीं किया गया।

सैफुर्रहमान अंसारी निवासी बदरका, आज़मगढ़ ने शिबली नेशनल कालेज से बीए किया है। 12–13 अप्रैल 2009 की रात को जबलपुर रेलवे स्टेशन से उसे हिरासत में लिया गया जब वह ट्रेन से वाराणसी रेलवे स्टेशन से सवार होकर अपनी बहन को छोड़ने मुम्बई जा रहा था। भाई–बहन दोनों को अलग–अलग वाहनों में जबलपुर से भोपाल ले जाया गया जहां 13 अप्रैल को उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया। सैफुर्रहमान पर जयपुर और अहमदाबाद धमाकों में लिप्त होने का आरोप है। यूपी के लखनऊ, वाराणसी और फैज़ाबाद कचहरियों में होने वाले सिलसिलेवार धमाकों में भी यूपी एटीएस ने उस पर आरोप लगाए हैं। इसका उल्लेख निमेष आयोग के समक्ष प्रस्तुत लखनऊ कचहरी धमाके के विवेचक राजेश कुमार श्रीवास्तव के शपथ पत्र में किया गया है जो आयोग की रिपोर्ट में पेज संख्या 166 पर अंकित है। लेकिन अब तक इस मामले में ना कोई औपचारिक कार्रवाई की गई है और ना ही उसे उत्तर प्रदेश लाया गया है।

मोहम्मद हाकिम निवासी रहमतनगर, आज़मगढ़ को 2 जनवरी 2009 को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। उस पर 13 सितम्बर 2008 को दिल्ली में हुए सिलसिलेवार धमाकों में लिप्त होने का आरोप है। गिरफ्तारी के समय वह इन्टीग्रल विश्वविद्यालय

लखनऊ से बीटेक कर रहा था। पढ़ाई के आखिरी कुछ महीने ही बचे थे। उसके पिता इंजीनियर अब्दुल करीम का कहना है कि हाकिम पर आरोप था कि उसने किसी दुकान से छर्रे खरीदे थे। वही दुकानदार हाकिम के खिलाफ मात्र एक गवाह था जिसने अदालत में यह कबूल किया कि उसने हाकिम को पहले कभी नहीं देखा। इसके बावजूद मुकदमे की लम्बी प्रक्रिया का सामना करने के लिए वह बाध्य है।

शहज़ाद अहमद उर्फ पप्पू निवासी खालिसपुर, आज़मगढ़ पर दिल्ली सीरियल ब्लास्ट और बटला हाउस कांड के समय पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए फरार हो जाने का आरोप है। उसे 1 फरवरी 2010 को उसके गांव खालिसपुर से गिरफ्तार किया गया था। बटला हाउस कांड में उसे सेशन कोर्ट से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। मामला फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में लम्बित है।

असदुल्लाह अख्तर निवासी गुलामी का पुरा, आज़मगढ़ हड्डी के मशहूर डाक्टर जावेद अख्तर का बेटा है। वह इन्टीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ से बीटेक कर रहा था। उस पर दिल्ली, अहमदाबाद धमाकों के अलावा हैदराबाद दिलसुखनगर धमाका 21 फरवरी 2013, मुम्बई सीरियल ब्लास्ट 13 जूलाई 2011, जामा मस्जिद हमला 19 सितम्बर 2010 में लिप्त होने का आरोप है। हैदराबाद धमाके में उसे सेशन कोर्ट ने मृत्यु दंड दिया है। अब यह मामला हैदराबाद हाई कोर्ट में है।

हबीब फलाही निवासी बारी खास, आज़मगढ़ को जिला अम्बेडकर नगर से 27 दिसम्बर 2011 को गिरफ्तार किया गया था। वहां वह एक मदरसे में पढ़ाता था। उस पर अहमदाबाद धमाकों में लिप्त होने और केरल में सिमी द्वारा आयोजित ट्रेनिंग कैम्प में भाग लेने का आरोप है।

आरिफ बदर निवासी इसरौली, आज़मगढ़ तीन बच्चों (दो बेटी, एक बेटा) का पिता है। इलेक्ट्रीशियन का काम करके अपना परिवार चलाने वाले आरिफ को बटला हाउस कांड के बाद मुम्बई से 24 सितम्बर 2008 को एटीएस मुम्बई द्वारा उठाया गया और 25 सितम्बर को गिरफ्तारी दिखाई गई। आरिफ पर मुम्बई लोकल ट्रेन ब्लास्ट, अहमदाबाद और दिल्ली धमाकों का आरोप है। बटला हाउस के बाद आजमगढ़ के नौजवनों को पुराने मामलों में फंसाए जाने की साजिश का शिकार आरिफ भी हुआ। उसको भी विभिन्न पुराने मामलों में आरोपी बताया गया।

सादिक शेख निवासी असाढ़ा पारा, आज़मगढ़ सपरिवार चीता कैंप मुम्बई में रहता रहा है। पेशे से हार्डवेयर इंजीनियर सादिक को वहीं से 24 सितम्बर 2008 को एटीएस मुम्बई द्वारा उठाया गया लेकिन 25 सितम्बर को गिरफ्तारी दिखाई गई। उस पर मुम्बई लोकल ट्रेन ब्लास्ट, अहमदाबाद सीरियल धमाकों के अलावा कोलकाता स्थित अमेरिकन सेंटर पर हमले का आरोप है। बाटला हाउस के बाद आजमगढ़ के नौजवनों को पुराने मामलों में फंसाए जाने वाली फेहरिस्त में सादिक का भी नाम शामिल हो

गया। उसे तो कोलकाता स्थित अमेरिकन सेंटर पर हमले जैसे पुराने मामले में संलिप्त बता दिया गया।

जाकिर शेख ग्राम कंवरा गहनी, आज़मगढ़ का रहने वाला है। उसने 2002 में एमए किया और भिवंडी, महाराष्ट्र में रह कर स्क्रैप का व्यापार करता था। 24 सितम्बर 2008 को उसे भिवंडी से ही एटीएस मुम्बई द्वारा उठाया गया और अगले दिन गिरफ्तार दिखाया गया। उसे मुम्बई लोकल ट्रेन ब्लास्ट और अहमदाबाद धमाकों का आरोपी बनाया गया है। जाकिर को भी आरिफ बदर और सादिक शेख की तरह ही बटला हाउस कांड के बाद गिरफ्तार तो किया गया पर मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट जैसे पुराने मामले में भी आरोपी बना दिया गया।

आरिज खान उर्फ जुनैद ग्राम नसीर पुर जनपद आज़मगढ़ का निवासी है। आरिज़ पर बाटला हाउस में 'शहज़ाद के साथ इंस्पेक्टर मोहनचंद्र शर्मा पर गोली चलाते हुए फरार हो जाने का आरोप है। दिल्ली स्पेशल सेल के अनुसार उसे 14 फरवरी 2018 को भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया। एजेंसियों के अनुसार आरिज़ खान 2014 तक नेपाल में रहा उसके बाद सऊदी अरब चला गया। वहां से 2017 में वापस आया और भारत में इंडियन मुजाहिदीन को फिर से संगठित करने का प्रयास कर रहा था कि पकड़ लिया गया। आरिज़ खान पर दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर और यूपी कचेहरियों में होने वाले सिलसिलेवार धमाकों में लिप्त होने का आरोप है। दिल्ली स्पेशल सेल ने आरिज़ को अपनी गिरफ्त में रखने के बाद 18 अप्रैल 2018 को केंद्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया।

मुकदमों की चकरघिन्नी

बाटला हाउस कांड को दस साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन जब न्याय की देहरी पर इंसाफ की गुहार के नतीजे देखते हैं तो मालूम होता है कि अभी सफर बहुत लम्बा है। इतना लम्बा कि शायद आरोपियों की पैरवी के लिए अगली पीढ़ी को भी अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे, कि खुद पीड़ित की उम्र उसका साथ दे पाएगी या नहीं? इसी बीच अहमदाबाद धमाकों में आरोपी बनाए गए अभियुक्त अतीकुर्रहमान अब्दुल हकीम खिलजी की सुप्रीम कोर्ट में 7 अगस्त 2018 को जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की खंडपीठ को असिस्टेंट सालिसिस्टर जनरल ने बताया कि गुजरात राज्य (अहमदाबाद ब्लास्ट केस) में मुकदमों की सुनवाई काफी आगे बढ़ चुकी है और चार महीने में मुकदमा खत्म हो सकता है। इस पर विद्वान न्यायधीशों ने कहा ''इस मामले को चार महीने बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। अगली तारीख तक ट्रायल कोर्ट की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत हो''। अतीकुर्रहमान की तरफ से कहा गया था कि अहमदाबाद में अभी 1100–1200 गवाह ही प्रस्तुत हुए हैं जबकि कुल गवाहों की संख्या तीन हज़ार से भी अधिक है। मुकदमों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर निपटाने के ऐसे निर्देश उच्च अदालतें पहले भी दे चुकी हैं लेकिन उन निर्देशों पर न तो अमल ही हो पाया और न ही सम्बंधित न्यायालयों ने इसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया।

इस बार माननीय उच्चतम न्यायालय ने फाइल अपने पास रखी है और चार महीने बाद सुनवाई की प्रगति रिपोर्ट भी तलब की है जिससे कुछ आशा बंधी है। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि शायद जो पहले नहीं हुआ अब हो जाए। फिलहाल, परिजन कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। एक साल पहले बाटला हाउस की नवीं बरसी पर बाटला हाउस की घटना के बाद आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों के परिचय, घरेलू दिक्कतों और विभिन्न अदालतों में चल रहे मुकदमों की स्थिति पर रिहाई मंच द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी। उचित होगा कि एक साल बाद उन मुकदमों की प्रगति का फिर से जायज़ा लिया जाए।

मुकदमों की स्थिति

13 मई 2008 का जयपुर सीरियल ब्लास्ट, 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुआ धमाका और सूरत शहर में जिंदा बमों की बरामदगी, 13 सितम्बर 2008 को दिल्ली धमाके और इन सबसे पहले 23 नवम्बर 2007 को यूपी में वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ की कचहरियों में हुए सिलसिलेवार धमाके और 22 मई 2007 को गोरखपुर गोलघर धमाकों के सिलसिले में मुकदमों की सुनवाई अभी जारी है जबकि वाघमन ट्रेनिंग कैम्प केस में 14 फरवरी को फैसला सुनाया जा चुका है। इसके अलावा कुछ अन्य मामलों के भी आरोप आज़मगढ़ के गिरफ्तार नौजवानों पर लगाए गए हैं।

अहमदाबाद में सबसे अधिक कुल करीब 3500 गवाह हैं। उच्चतम न्यायालय के कड़े रुख के बाद बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देने लगा है। परिजनों से बात करने पर पता चला कि अहमदाबाद में अब मात्र 26 गवाह पेश किए जाने बाक़ी हैं। यह चमत्कार कैसे हुआ इसके जवाब में उन्होंने बताया कि ज़्यादातर गवाह केवल नाम के होते हैं। अभियोजन अपनी सुविधा के हिसाब से उन्हें पेश करने या न करने की बात तय करता है। ऐसे में सभी गवाहों को जिनसे मुकदमे की प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ता अभियोजन ने पेश न करने का फैसला किया है।

जयपुर में आठ एफआईआर में अलग–अलग मुकदमें चल रहे हैं। कुल मिलाकर करीब 1200 गवाह हैं। वहां डेली बेसिस पर सुनवाई चल रही है। अगर कोई बाधा नहीं आई तो एक साल में कुछ मुकदमों के निस्तारण की सम्भावना है। लेकिन सलमान अहमद के जयपुर धमाकों के समय नाबालिग़ होने की याचिका पर जयपुर हाईकोर्ट में सुनवाई लम्बित है। किसी नाबालिग़ को अधिकतम तीन साल की सज़ा सुनाई जा सकती है और सलमान की याचिका पर 6 साल से कोई फैसला नहीं आया है। गौरतलब है कि सलमान को दिल्ली में भी अभियुक्त बनााया गया था लेकिन अदालत ने आरोप तय करते समय उसे दोषमुक्त कर दिया था।

दिल्ली में 1000 के करीब गवाह है जिसमें से आधी गवाही ही हो पाई है। मुकदमों की सुनवाई के मामले में सबसे बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश की है। 22 मई 2007 को गोरखपुर में तीन सिलसिलेवार धमाके हुए थे जिसमें तारिक कासमी, सलमान अहमद, मोहम्मद सैफ, मिर्जा शादाब बेग को आारोपी बनाया गया था। शादाब बेग को छोड़कर सभी आरोपी करीब दस सालों से जेल में हैं। मुकदमों में प्रगति के नाम पर मिर्जा शादाब बेग के घर में कुर्की की कार्रवाई हो चुकी है। हकीम तारिक कासमी पर

आरोप तय किए जा चुके हैं। सलमान को 2016 में गोरखपुर मामले में पेश किया गया था जबकि मोहम्मद सैफ को 20 जनवरी 2018 को पेश किया गया। उक्त दोनों को दोबारा गोरखपुर नहीं लाया गया जिसकी वजह से आरोपियों को चार्जशीट भी नहीं मिल पाई है। इसी तरह कचहरी धमाकों को पहले हूजी की कारिस्तानी बताया गया था लेकिन बाद में हूजी–इंडियन मुजाहिदीन के संयुक्त ऑपरेशन की थ्योरी को आगे बढ़ाया गया। इस थ्योरी के मुताबिक़ वाराणसी कचेहरी धमाके में इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से मोहम्मद सैफ और छोटा साजिद, लखनऊ में मोहम्मद आरिज़ खान और मोहम्मद आरिफ और फैज़ाबाद कचहरी धमाके में मिर्जा शादाब बेग और सैफुर्रहमान ने भाग लिया था।

आरिफ को सितम्बर 2008 में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अहमदाबाद धमाकों में उसका नाम आने के बाद गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही आईएम थ्योरी वजूद में आई थी। गिरफ्तारी के करीब एक महीने बाद उसे गुजरात क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। तब से उसे वापस लखनऊ नहीं लाया गया है। उस पर भी अब तक आरोप पत्र नहीं आ सका है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दस साल गुज़र जाने के बाद भी पहले से गिरफ्तार सैफ, सैफुर्रहमान और आरिज़ खान को न तो वाराणसी, लखनऊ और फैज़ाबाद में पेश किया गया है और न ही उन्हें या उनके परिजनों को इस सम्बंध में कोई सूचना ही दी गई है। स्थिति यह है कि अंतिम रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि उन्हें और कितने मामलों में आरोपी बनाया गया है या उन्हीं मुकदमों में और कितने युवकों को आरोपी बनाया गया है। इसे आपराधिक साज़िश के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार मुफ्ती बशर को 2008 में गिरफ्तार किए जाने के बावजूद जयपुर के एक अन्य मामले में उसे हाज़िर नहीं किया गया है।

14 फरवरी 2018 को केरल के वाघमन में 10–12 दिसम्बर 2007 को सिमी द्वारा प्रशिक्षण कैंम्प आयोजित करने के मामले में एनआईए कोर्ट कोच्चि का फैसला आया। इस केस में कुल 38 लोगों को आरोपी बनाया गया था। महबूब मलिक की भोपाल जेल से फरार होने के नाम पर फर्जी एनकाउंटर में हत्या कर दी गई। यासीन भटकल की गिरफ्तारी देर से होने के कारण उसे इस मुकदमे का हिस्सा नहीं बनाया गया। वासिक बिल्लाह के हाज़िर न होने की वजह से कुल 35 लोगों पर मुकदमा चला जिसमें 18 को सज़ा हुई और 17 युवक बरी हुए। बरी होने वालों में आज़मगढ़ के हबीब फलाही का नाम शामिल है। आज़मगढ़ के ही मुफ्ती बशर को सात साल की सज़ा सुनाई गई है। यह मामला बचाव पक्ष केरल हाईकोर्ट में ले गया है।

हकीम तारिक कासमी को लखनऊ कचहरी धमाके के आरोप में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। जिस तरह से 23 अगस्त को न्यायधीश महोदया ने यह सज़ा सुनाई उसने सभी को हैरत में डाल दिया। 23 अगस्त को अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष लिखित बहस व नज़ीरें प्रस्तुत करनी थीं लेकिन उसी तारीख में बिना प्रक्रिया पूरी किए उन्होंने हकीम तारिक के दोषी होने का फैसला सुना दिया। इससे पहले तारिक को बाराबंकी अदालत से अजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जा चुकी है और फैज़ाबाद न्यायालय में मुकदमा अंतिम दौर में पहुंच चुका है। खास बात यह है कि हकीम तारिक कासमी को हूजी का 'इंतेज़ामी अमीर' और खालिद मुजाहिद को हूजी के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने और उसके हूजी के 'फौजी दस्ते का कमांडर' होने की बात कही गई थी। परन्तु अभियोजन उनके हूजी से किसी तरह के जुड़ाव को साबित करने में नाकाम रहा।

विभिन्न राज्यों की निचली अदालतों में पिछले दस साल से बहुत सुस्त रफ्तार से सुनवाई होती रही है। अब अचानक उसमें तेज़ी दिखाई पड़ी है, खासकर अहमदाबाद में फैसला जल्दी आने की सम्भावना बढ़ गई है। लेकिन गिरफ्तार नवजवानों को उससे किसी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अगर उन मुकदमों से उन्हें बरी भी कर दिया जाता है तो उत्तर प्रदेश कचेहरी ब्लास्ट और गोरखपुर गोलघर धमाकों के मुकदमों की सुनवाई का सामना करना होगा जहां दस साल से भी अधिक समय से मामला जानबूझकर लटकाए रखा गया है।

पुलिस की इसी कार्यशैली के हत्थे चढ़े दिल्ली के आमिर तो कभी निसार जैसे नौजवान एक दशक से अधिक समय जेल काट चुके हैं। वहीं यूपी में रामपुर के जावेद, बिजनौर के याकूब, नासिर, सीतापुर के सैय्यद मुबारक, कानपुर के वासिफ हैदर, मुमताज, पंश्चिम बंगाल के मोहम्मद अली अकबर, अजीजुर्रहमान, शेख मुख्तार जैसे लोग आठ–आठ साल, दस–दस साल जेल में रहने के बाद बाइज्जत बरी हुए। आतंकवाद के मामलों में जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई और मुकदमें धीमी गति से चलाए जा रहे हैं उसमें यह सवाल अहम है कि क्या सिर्फ राज्य की जिम्मेदारी उनको गिरफ्तार कर जेल में डालना भर थी। क्योंकि जिस तरह से सालों–साल बाद आरोपी बेगुनाह साबित हो जाते हैं जहां उनके जीवन की बर्बादी का सवाल होता है वहीं उस आतंकवादी घटना की सच्चाई का भी इस जद्दोजहद में गुम कर दी जाती है। दूसरे जिस तरह से आतंकवाद के आरोपियों को जेलों में हाई स्क्योरिटी के नाम पर जो झेलना पड़ता है और उसे जेल में बंद कर देने भर से राज्य अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का एहसास दिलाता है। इससे यह भी साबित होता है कि राज्य उन्हें समान नागरिक का दर्जा नहीं देता है। ऐसे में सालों बाद बेगुनाह छूटने के बाद भी वे समाज की मुख्यधारा में बमुश्किल शामिल हो पाते हैं।

आईएम से आईएस तक

इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) को पहला घरेलू आतंकवादी संगठन ही नहीं कहा गया बल्कि इसके नाम पर देश में अब तक का सबसे बड़ा आतंक विरोधी अभियान भी चलाया गया। आईएम की थ्योरी भी नए अंदाज़ में सामने आई। गुजरात के डीजीपी पांडिया ने इसके नामकरण की व्याख्या करते हुए कहा था कि सिमी से पहला अक्षर एस और आखिरी अक्षर आई निकाल कर आईएम बना। इस तरह आईएम को सिमी से जोड़ा गया। आईएम के नाम पर आधुनिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त नौजवानों को आरोपी बनाया और गिरफ्तार किया गया। इससे पहले धार्मिक शिक्षा प्राप्त या गरीब कम पढ़े–लिखे मुसलमानों पर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप लगते रहे हैं और उसके पीछे धर्मान्धता और अशिक्षा कारण माना जाता रहा है, इसीलिए आतंक के इस नए अवतार को एक बड़ा वर्ग मुस्लिम नौजवानों की आधुनिक और तकनीकी शिक्षा की तरफ बढ़ते रुझान पर हमला मानता है। लेकिन विगत कुछ सालों से आईएम से जुड़े नए मामले सामने नहीं आए हैं बल्कि एजेंसियों का पूरा फोकस आईएसआईएस की तरफ चला गया। आईएसआईएस और बग़दादी को इलेक्ट्रानिक चैनलों पर भारत में किसी वास्तविक गिरफ्तारी से पहले ही जिस तरह से कवर किया जाने लगा था उससे आने वाले समय में उस नाम पर गिरफ्तारियों की आशंका उत्पन्न हो गई थी। यह आशंका सच भी साबित हुई।

खबरों में मरते–जीते वो

बाटला हाउस कांड के बाद आज़मगढ़ के जो आरोपी नौजवान लापता हैं उनके बारे में एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से कभी शारजाह और पाकिस्तान तो कभी अफगानिस्तान, इराक़ और सीरिया में होने की खबरें आती रही हैं। तो वहीं कभी–कभी मुम्बई और देश के अन्य भागों में उनके देखे जाने या रेकी करने की खबरें आती हैं। डाक्टर शहनवाज़, साजिद बड़ा और अबू राशिद के बारे में अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से और इराक व सीरिया में आईएसआईएस की तरफ से लड़ने के समाचार भी विभिन्न सूत्रों के हवाले छपते और प्रसारित होते रहे हैं। इसके पहले भी शीतला घाट, वाराणसी, मुम्बई सीरियल ब्लास्ट और हैदराबाद धमाके के बाद तो डाक्टर

शहनवाज, साजिद बड़ा, आरिज़, शादाब बेग और अबू राशिद को सूत्रों के जरिए मीडिया ने इन धमाकों का सूत्रधार बना दिया था।

सबसे हास्यापद समाचार साजिद बड़ा के बारे में आया। पहले कहा गया कि अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से लड़ते हुए बम की चपेट में आ जाने से उसके दोनों पैर उड़ गए। फिर इराक में आईएसआईएस की तरफ से लड़ते हुए मारे जाने की खबर भी सूत्रों से आई। तीसरी बार जुलाई 2015 में सीरिया में अमरीकी बमबारी में मारे जाने की खबर ने हलचल मचा दी। इस बार कथित जिहादी वेबसाइट्स पर उर्दू भाषा में प्रकाशित खबरों का हवाला भी शामिल था। कई पत्रकार इसकी सत्यता को परखने के लिए संजरपुर, आज़मगढ़ गए। महीनों यह सब चलता रहा और इसे स्थापित करने का प्रयास किया जाता रहा कि साजिद समेत आईएम से जुड़े सभी फरार युवक सीरिया में है और साजिद वास्तव में अमरीकी मिसाइल हमले में मारा गया।

इस तरह की खबरें आमतौर पर एजेंसियां ही समाचार माध्यमों को लीक करती हैं और उसे प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए 'विश्वस्त सूत्रों', 'खुफिया सूत्रों' जैसे मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। परन्तु 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली स्पेशल सेल ने जिन आतंकियों से दिल्ली को सम्भावित खतरे का एलर्ट जारी किया उसमें साजिद बड़ा का नाम भी शामिल था। दिल्ली स्पेशल सेल अपने फर्जीवाडों के लिए कुख्यात रही है। लियाकत अली शाह मामले में उसकी बहुत किरकिरी भी हो चुकी है। सम्भव है कि काल्पनिक खतरा उत्पन्न करने में उससे यह भूल हुई हो कि खुफिया सूत्र साजिद बड़ा को पहले ही मार चुके हैं। जो भी हो साजिद का भूत एक बार फिर से जीवित हो उठा। आतंक की राजनीति की भी अपनी ज़रूरतें और तकाज़े हैं इस लिहाज से दुनिया में कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित आतंकी या कहा जाए कि स्थापित कर दिए गए आतंकी संगठनों से किसी को जोड़ना और उसे स्वीकार्य बनाना बहुत आसान हो जाता है। इस काम में आईएम की तुलना में आईएसआईएस ज्यादा उचित विकल्प हो सकता था।

इंडियन मुजाहिदीन के आज़मगढ़ के रहने वाले जिन कथित सदस्यों को मीडिया द्वारा फरार और सूत्रों के हवाले से आईएसआईएस से जुड़ा बताया जाता रहा है उनमें डाक्टर शहनवाज़, साजिद बड़ा, मोहम्मद खालिद, अबू राशिद, मिर्जा शादाब बेग, मोहम्मद राशिद के नाम शामिल हैं जबकि शादाब अहमद, मोहम्मद वासिक और शर्फुद्दीन के बारे में सूत्रों ने इस तरह के संकेत नहीं दिए। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि शादाब अहमद, शर्फुद्दीन और मोहम्मद राशिद को एनआई द्वारा 2012 में दर्ज

एक एफआईआर के आधार पर आरोपी बनाया गया जिसमें किसी घटना का जिक्र नहीं है।

अबू राशिद की घटना के बाद परिजनों पर अपने बच्चों के साथ किसी अनहोनी की आशंका छाई रहती है। साजिद बड़ा के बड़े भाई मोहम्मद शाकिर का कहना है कि 'यह हमारे इस शक को पुख्ता करता है कि या तो लड़के खुफिया एजेंसियों की गिरफ्त में हैं और किसी बड़ी वारदात के बाद उनको सामने लाया जाएगा या पहले ही उनको मार दिया गया है और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इस तरह की पेशबंदी की जा रही है।'

19 सितम्बर 2008 के बाद से लापता युवकों में से साजिद बड़ा, शादाब बेग, मोहम्मद खालिद और मोहम्मद आरिज़ खान पर दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद धमाकों का आरोप है, आरिज़ खान को बटला हाउस कांड में गोली चलाने का भी मुल्जिम बनाया गया है। डाक्टर शहनवाज़ पर दिल्ली और अहमदाबाद धमाकों का आरोप है। अबू राशिद मुम्बई लोकल ट्रेन ब्लास्ट और अहमदाबाद धमाकों में वांछित है। मोहम्मद वासिक को अहमदाबाद बम धमाकों और वाघमन ट्रेनिंग कैम्प केस, एरनाकुलम, केरल में आरोपी बनाया गया है। मोहम्मद राशिद, शादाब अहमद और शर्फुद्दीन को यूएपीए के तहत आरोपी तो बनाया गया है लेकिन परिजनों को किसी घटना के बारे में कोई सूचना नहीं है।

निशाने पर कैरियर

गिरफ्तार किए गए आज़मगढ़ के 16 में से 10 नौजवान अविवाहित हैं। उनमें से ज्यादातर पढ़ने–लिखने वाले थे, जीवन के उस मोड़ पर थे जहां कैरियर बनाना ही सबसे बड़ा सपना होता है। जीशान और साकिब निसार तो पढ़ाई के साथ नौकरी भी करते थे। आतंकवाद के नाम पर बेगुनाहों को फंसाने और उनका जीवन बर्बाद कर देने में सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका पहले भी चर्चा का विशय रही है। इसीलिए माननीय न्यायालय तक को बोलना पड़ जाता है कि ऐसा न कीजिए जिससे कहना पड़े 'माई नेम इज खान बट आई एम नॉट टेररिस्ट।' आरोपियों और उनके परिजनों का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं रहा। अधिकतर का आधुनिक और उच्च शिक्षा से जुड़ाव रहा है। इन गिरफ्तारियों से जिले के नवयुवकों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ा है। उच्च और तकनीकी शिक्षा के अवसरों के अभाव में महानगरों का रूख करने वाले छात्रों पर इसकी मार सबसे अधिक है। मुठभेड़ और तत्पश्चात गिरफ्तारियों पर उठने वाले सवालों पर जांच एजेंसियों की लीपापोती और विभिन्न महानगरों में आज़मगढ़ के छात्रों को भयभीत करने की सीधी जिम्मेदारी सरकार पर जाती है। खुद गुलज़ार वानी के मामले में बारबंकी सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में विवेचक की भूमिका पर गम्भीर सवाल उठाए। इसी तरह सरकार बनाम हामिद हुसैन, मोहम्मद शारिक आदि केस में 2011 के अपने फैसले में दिल्ली की द्वारिका कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी करते हुए चार अधिकारियों को दिल्ली पुलिस के लिए शर्मिंदा करने वाला और उसे बदनाम करने वाला कहा। अदालत में चलने वाली लम्बी न्यायिक प्रक्रिया का सबसे बड़ा कारण अभियोजन की हीला–हवाली होती है। आतंकवाद से सम्बंधित तमाम मुकदमों में पुलिस के गवाहों की हाजिरी के लिए खुद अदालत को कड़ी चेतावनी या वारंट तक जारी करने को बाध्य होना पड़ा है। इसका बुरा खामियाजा आखिरकार अभियुक्तों और उनके परिजनों को झेलना पड़ता है। आतंकवाद के विभिन्न मामलों में तेज गति से बिना बाधित किए सुनवाई करने के लिए कई बार पीड़ित हाईकोर्ट भी जाते हैं और वहां निश्चित समय सीमा में सुनवाई पूरी करने के निर्देश मिलने के बावजूद निचली अदालतों में उसका पालन नहीं हो पाता है। ऐसे मामले का एक उदाहरण 1 जनवरी 2008 की पूर्व रात्रि मे हुए कथित रामपुर सीआरपीए कैंप कांड में भी देखा जा सकता है जहां बार–बार हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद मुकदमें को पिछले दस सालों से अधिक समय से लटकाए रखा गया है। जाहिर है कि हर दिन सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना होता है। जिन मामलों में गिरफ्तार व्यक्ति ही अकेला रोज़ी कमाने वाला हो उसके दुख–परेशानियों को शब्दों में व्यक्त कर पाना सम्भव नहीं है।

जो लापता हैं

बाटला हाउस कांड के बाद टीवी चैनलों पर आजमगढ़ को आतंकवाद से जोड़ते हुए बहुत से नाम सामने आए। सुरक्षा एजेंसियों ने कईयों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया। कई ऐसे थे जिनके नाम मीडिया में उछले और उसके बाद वे फिर नजर नहीं आए। ऐसे नवजवानों की संख्या 9 है। कई बार मीडिया में उनसे सम्बंधित खबरें खुफिया और अन्य सूत्रों से प्रकाशित होती रहती हैं लेकिन अब तक किसी के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी परिजनों को नहीं दी गई है। इस सूची में डाक्टर शहनवाज़, साजिद बड़ा, मोहम्मद आरिज़, मिर्जा शादाब बेग, अबू राशिद, मोहम्मद खालिद और मोहम्मद वासिक बिल्लाह का नाम शामिल है। 2012 में एनआईए ने तीन अन्य के नाम एफआईआर दर्ज की, उसमें यूएपीए की धाराएं लगाई गई लेकिन किसी घटना का विवरण नहीं है। उस एफआईआर में मोहम्मद राशिद, शादाब अहमद और शर्फुद्दीन के नाम शामिल थे। मोहम्मद राशिद बटला हाउस में मारे गए छोटा साजिद का बड़ा भाई है जो पहले से ही खाड़ी में नौकरी करता था और बटला हाउस की घटना से काफी पहले से विदेश में था और अब तक वह भारत नहीं आया है। स्वंय परिजनों और गांव वालों के लिए यह एक पहेली जैसा है कि जो व्यक्ति देश में था ही नहीं वह कैसे किसी घटना को अंजाम दे सकता है। अबू राशिद का मामला भी कम संदिग्ध नहीं है। उसने 2000 में फार्मेसी में डिप्लोमा किया था, फिर आप्टिकल्स में डिप्लोमा करने के बाद जेकेबी आप्टिकल्स, अंधेरी, मुम्बई में काम करता था। रमज़ान और ईद के मौके पर संजरपुर आया हुआ था। इसी दौरान दिल्ली धमाका और बटला हाउस कांड हुआ। मुम्बई क्राइम ब्रांच वहां मौजूद उसके भाई और चाचा पर राशिद को हाज़िर करने का दबाव बनाने लगी। अबू राशिद के बड़े भाई अबूसाद का कहना है कि उन्होंने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से बात की और 24 सितम्बर 2008 को सुबह उसे वाराणसी से ट्रेन पकड़ने के लिए रवाना कर दिया। इसकी सूचना उन्होंने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ ही उस समय संजरपुर में मौजूद 'आज तक' चैनल वालों को दी। उस समय मुम्बई से निकलने वाले अखबार 'मिड डे' के पत्रकार केतन रंगा भी गांव में मौजूद थे। अबूसाद ने उनको भी इसकी जानकारी दी। यह सब उन्होंने इस आशंका के चलते किया कि कल पुलिस कहीं बटला हाउस जैसी कहानी न बना दे। लेकिन अबू राशिद आज तक मुम्बई नहीं पहुंचा। यहां यह सवाल है कि अगर पुलिस के कहने पर परिजनों ने उसे भेजा और उसके बाद उसका पता नहीं चला तो ऐसे में शक लाजिमी है कि पुलिस वालों ने उसे गायब कर दिया हो। और अब जब वे कह रहे हैं कि वो आईएस में चला गया तो ऐसे में उसके आईएस के संबधों के पहले सुरक्षा–खुफिया एजेंसियों के संबन्धों पर भी सवाल उठता है कि क्या वो लड़कों को उठाकर वहां भेज देती है।

पहले हूजी फिर इंडियन मुजाहिदीन

वाराणसी, लखनऊ और फैज़ाबाद की कचहरियों में होने वाले धमाकों का आरोप पहले आतंकवादी संगठन हूजी पर लगाया गया था। इस मामले में 22 दिसम्बर 2007 को गिरफ्तार दिखाए गए आज़मगढ़ के तारिक कासमी को संगठन को 'इन्तेज़ामी अमीर' और जौनपुर निवासी खालिद मुजाहिद 'फौजी दस्ते का कमांडर' बताया गया था। इसी तरह कोलकाता निवासी आफताब आलम अंसारी उर्फ राजू उर्फ मुख्तार को 27 दिसम्बर 2007 को गिरफ्तार किया गया और उसे हूजी का 'एरिया कमांडर' और विस्फोटक सप्लायर बताया गया था। आफताब कोलकाता इलेक्ट्रिक एंड पावर सप्लाई कंपनी में काम करता था और जिस तारीख में उसे उत्तर प्रदेश में धमाके करने का आरोप तत्कालीन एसटीएफ ने उस पर लगाया था उस समय वह कंपनी के डाक्टर से इलाज करवा रहा था। यह तथ्य कंपनी द्वारा जारी प्रेसक्रिप्शन बुक में भी दर्ज था। नतीजे के तौर पर पहचान की भूल कहकर विवेचक राज नारायण शुक्ला ने अपना पीछा छुड़ा लिया और उसे मात्र 16 दिनों में ही बरी कर दिया गया। एसटीएफ की कहानी में इस घटना से एक बड़ा शून्य उत्पन्न हो गया। 28 सितम्बर 2008 को बाटला हाउस की घटना के बाद आरिफ नसीम को इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी और अहमदाबाद धमाके से जुड़े होने के नाम पर लखनऊ में गिरफ्तार किया गया और ऐसा लगता है कि एटीएस यूपी ने उसी शून्य को भरने के लिए कचहरी धमाकों को हूजी और इंडियन मुजाहिदीन का संयुक्त अभियान बताकर आफताब आलम उर्फ राजू उर्फ मुखतार की खाली जगह मोहम्मद सैफ के नाम के साथ उर्फ राजू लगाकर भर दिया।

तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद की 22 दिसम्बर 2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन से दिखाई गई गिरफ्तारी को संदिग्ध मानते हुए तत्कालीन बसपा सरकार ने इसकी सत्यता को परखने के लिए गठित निमेष आयोग का गठन किया था। इसकी रिपोर्ट में तारिक और खालिद की गिरफ्तारी को संदिग्ध मानते हुए आयोग ने दोषी पुलिस कर्मियों को दंडित करने की संस्तुति भी की थी। इस मामले में भी आयोग में वर्ष 2011 में दाखिल एसटीएफ व अन्य पुलिस अधिकारियों के शपथ पत्रों में विरोधाभास देखा जा सकता है। इस केस के एक विवेचक राजेश कुमार श्रीवास्तव अपने हलफनामें

में एक स्थान पर कहते है ''जनपद वाराणसी एवं फैज़ाबाद में विस्फोट के समय किए जाने वाले स्थलों का चिन्हीकरण तथा विस्फोटक पदार्थों की प्रकृति इंगित करती है कि ये विस्फोट किसी एक संगठन द्वारा समन्वित रूप से की गई है''। लेकिन इंडियन मुजाहिदीन के आरोपी मोहम्मद आरिफ की गिरफ्तारी के बाद इन धमाकों को हूजी और आईएम की संयुक्त कार्रवाई बताते हुए वह उसी हलफनामे में कहते हैं ''यह कार्रवाई हूजी के कमाण्डर बसीर अहमद कोड उर्फ हेजाज़ी उर्फ सबा तथा इंडियन मुजाहिदीन के कमाण्डर आतिफ अमीन द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की गई'' .... ''जनपद लखनऊ, वाराणसी और फैज़ाबाद में कारित किए गए बम विस्फोट की घटनाएं व्यापक षणयंत्र के रूप में इंडियन मुजाहिदीन तथा हूजी के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की गई'' .... ''इस सम्बंध में इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य आतिफ अमीन, साजिद छोटा, मोहम्मद आरिफ, आरिज़ उर्फ जुनेद, सादाब मलिक उर्फ इमरान उर्फ गुरू एवं सैफुर्रहमान के नाम प्रकाश में आए''। इसी प्रकार 22 मई 2007 को गोरखपुर गोलघर सीरियल ब्लास्ट के सम्बंध में सीओ चिरंजीव नाथ सिन्हा, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा व क्षेत्राधिकारी एस आनंद के हलफनामों में तारिक कासमी के हवाले से कहा गया है ''मैंने हेजाज़ी के कहने पर राजू उर्फ मुखतार के साथ गोरखपुर बम ब्लास्ट की योजना बनाई थी और स्वयं गोलघर के आसपास रैकी कर मुख्तार उर्फ राजू व छोटू को लेकर हिदायत के अनुसार विस्फोट कराया था''।

वो उर्फ–उर्फ पर राजू है

वाराणसी कचहरी ब्लास्ट कारित कराने का आरोप भी राजू उर्फ मुख्तार पर था और विस्फोटक सप्लाई करने का भी। इसी राजू उर्फ मुख्तार के नाम पर पहले आफताब आलम अंसारी को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उसके बरी हो जाने और धमाकों को हूजी–आईएम का संयुक्त आपरेशन बताने के बाद मोहम्मद सैफ के नाम के साथ 'उर्फ राजू' जोड़कर खाली जगह भर दी गई। लेकिन सैफ का किरदार खुद एसटीएफ की कहानी में मुख्तार उर्फ राजू के पूर्व विवरण से मेल नहीं खाता क्योंकि वह राजू उर्फ मुख्तार मालदा, पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और उक्त पुलिस अधिकारियों के हलफनामे में खालिद के हवाले से कहा भी गया है ''मुम्बई से लौटकर सज्जाद सभी को लेकर मालदा पश्चिम बंगाल राजू उर्फ मुख्तार से मिलने चला गया।'' राजू उर्फ मुख्तार के बंगाल निवासी होने की थ्योरी के हिसाब से मुग़लसराय या बनारस विस्फोटकों की सप्लाई के लिए उपयुक्त स्थान भी हो सकती थी और शायद आफताब आलम अंसारी के मूल रूप से गोरखपुर का होने और पश्चिम बंगाल के स्थाई निवासी होने के कारण राजू उर्फ मुख्तार की हैसियत से वह सबसे उपयुक्त व्यक्ति था।

आफताब आलम अंसारी का राजू उर्फ मुख्तार होना इस नज़रिए से भी उपयुक्त था कि एसटीएफ के मुताबिक कचहरी धमाकों के आरोपी तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद तक पहुंचने का कश्मीरी और बंगलादेशी कनेक्शन था। इन्हीं अधिकारियों के हलफनामे से इसकी पुष्टि होती है ''पूर्व में हरकत उल जेहाद इल इस्लामी के आतंकवादी बाबू भाई जलालुद्दीन, नौशाद आदि के संगठन के ढांचे एवं संजाल के अध्ययन तथा मामूरा मुखबिरान की सूचना से यह तथ्य प्रकाश में आया था कि जनपद जौनपुर के मड़ियाहूं व जनपद आज़मगढ़ के रानी की सराय क्षेत्र में कुछ माह से बंगलादेशी व कश्मीरी नागरिकों का काफी आना जाना रहा है। उन सूचनाओं को और विकसित करने हेतु एसटीएफ की टीम व मुखबिरान लगातार काम कर रही थीं''।

बाबू भाई जलालुद्दीन, नौशाद समेत कई अन्य अभियुक्तों, जिसमें अधिसंख्य का सम्बंध पश्चिम बंगाल से था, एसटीएफ उत्तर प्रदेश ने जून 2007 में फर्जी तरीके से हूजी का आतंकी कहकर कथित रूप से मुखबिर की निशानदेही पर गिरफ्तार कर आतंकी घटनाएं अंजाम देने की साजिश का आरोप लगाया था। इन बेगुनाहों ने करीब आठ साल तक कैद झेली और मुकदमों का सामना किया। एसटीएफ का दावा झूठा साबित हुआ और अंत में बाइज़्ज़त बरी हुए। ऐसे में अगर सैफ को उर्फ राजू (सैफ के मामले में उर्फ मुख्तार नहीं लगाया गया है) मान लिया जाए तो पूरी बंगलादेशी और बंगाली थ्योरी ही खारिज हो जाती है। वैसे भी उक्त अधिकारियों ने जिस जलालुद्दीन, नौशाद आदि का संदर्भ दिया है वह पहले ही अदालत से बेगुनाह बरी किए जा चुके हैं। बाटला हाउस कांड और सैफ की गिरफ्तारी को दस साल पूरे हो चुके हैं। दस्तावेज़ों के मुताबिक 30 सितम्बर 2008 तक एसटीएफ के दावे के मुताबिक़ एजेंसी को यह जानकारी मिल चुकी थी कि लखनऊ, वाराणसी और फैज़ाबाद धमाकों में हूजी और आईएम की संयुक्त भूमिका थी और राजेश कुमार श्रीवास्तव ने अपने हलफनामे में आईएम की तरफ से आतिफ अमीन, छोटा साजिद, आरिफ, आरिज़ उर्फ जुनेद, शादाब मलिक उर्फ इमरान उर्फ गुरू और सैफुर्रहमान के उसमें भाग लेने का उल्लेख किया है। यह कि गोरखपुर गोलघर धमाकों में आईएम की तरफ से सैफ उर्फ राजू और छोटू ने भाग लिया था। यह भी कि विस्फोटक सप्लाई करने वाला राजू उर्फ मुख्तार कोई और नहीं सैफ था तो उक्त अधिकारियों तथा विवेचक राजेश कुमार श्रीवास्तव ने 2011 में निमेष आयोग में दाखिल किए गए अपने हलफनामों में कचहरी धमाकों में भाग लेने वाले आईएम के सदस्यों में सैफ के नाम का उल्लेख क्यों नहीं किया जबकि उसके नाम के साथ उर्फ राजू लगाकर उसे सेन्ट्रल भूमिका में रखा गया है? जब सैफ व अन्य आरोपी पहले ही दस साल से अन्य मुकदमों के सिलसिले में हिरासत में हैं और जिसकी जानकारी सार्वजनिक हो चुकी है, विवेचक

ने अपने अभियोग दैनिकी 2008 में ही इसका उल्लेख भी किया है तो अब तक उक्त आरोपियों को कचहरी धमाकों के सिलसिले में सम्बंधित अदालतों में पेश क्यों नहीं किया गया? इस सम्बंध में उनके परिजनों को कोई सूचना क्यों नहीं दी गई?

आरिफ को लखनऊ में एसटीएफ यूपी ने सितम्बर 2008 में गिरफ्तार किया था जिसे एक महीने बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था, उसी के कथित बयानों को आधार बनाकर हूजी–इंडियन मुजाहिदीन संयुक्त अभियान की थ्योरी विकसित की गई थी। तो दस साल तक उसे लखनऊ के मुकदमे के सिलसिले में वापस क्यों नहीं लाया गया? क्या अभियोजन को यह डर था कि इंडियन मुजाहिदीन के किसी सदस्य के आरोप पत्र के सामने आने पर जो आधिकारिक जानकारियां सामने आ सकती हैं उससे हूजी के अभियुक्तों की सुनवाई में मुश्किल खड़ी हो सकती थी? क्या एसटीएफ समेत अभियोजन को यह आशंका सता रही थी कि हूजी एरिया कमांडर के नाम पर गिरफ्तार आफताब आलम के छूट जाने के बाद उनके लिए हूजी के अन्य कथित अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में केस साबित करना मुश्किल हो जाएगा इसीलिए उन्होंने इसमें इंडियन मुजाहिदीन को हूजी के साथ जोड़कर अभियुक्तों के दो सेट तैयार कर दिए और सैफ के नाम के साथ उर्फ राजू लगाकर आफताब अंसारी के बरी हो जाने के बाद मुख्तार उर्फ राजू के रिक्त स्थान को भर दिया?

कैद में कत्ल न हो जाएं

पिछले दिनों तारिक कासमी के अधिवक्ता मोहम्मद शुऐब ने लखनऊ जेल प्रशासन पर एटीएस के साथ साज़बाज़ करके तारिक कासमी की हत्या का आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, कारागार महानिदेशक उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को पत्र लिखा था। पत्र मीडिया को भी जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि विश्वस्त सूत्रों से उन्हें पता चला है कि सज़ा सुनाए जाने के बाद एटीएस के लोग अभियोजक के माध्यम से माननीय न्यायाधीश महोदया से तारिक कासमी को लखनऊ जेल में रोकने का आदेश पारित कराएंगे और लखनऊ जेल में तनहाई में रखकर गला घोंट कर उसकी हत्या करेंगे। हत्या के बाद जेल अधिकारियों द्वारा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सज़ा का अवसाद बर्दाश्त न कर पाने के कारण बंदी तारिक कासमी ने आत्महत्या कर ली। पत्र में उन्होंने यह भी दावा किया था कि इससे पहले भी जिला जेल लखनऊ में ही एक अन्य बंदी नौशाद और उसके दूसरे साथियों से तारिक कासमी की हत्या के प्रयास की साज़िश की जा चुकी है जिसकी स्वीकारोक्ति उनके अनुसार नौशाद आदि उनके समक्ष कर चुके हैं। उन्होंने पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि जस्टिस आरडी निमेष आयोग की रिपोर्ट में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिशों से पुलिस अधिकारियों का एक वर्ग तारिक कासमी की जान लेना चाहता है और इससे पहले उसके सहअभियुक्त खालिद मुजाहिद की हत्या फैज़ाबाद जेल से लखनऊ जेल लाते समय पुलिस कस्टडी में की जा चुकी है जिसकी विवेचना लम्बित है।

एडवोकेट शुऐब ने उक्त आशय का पत्र 26 अगस्त को लिखा था जबकि तारिक कासमी व अन्य की सज़ा पर बहस के लिए 27 अगस्त की तारीख नियत की गई थी। तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद को कथित रूप से क्रमशः 12 दिसम्बर और 16 दिसम्बर 2007 को आज़मगढ़ और जौनपुर से एसटीएफ द्वारा उठा लिया गया था और यातनाएं देकर कचहरी धमाकों का आरोप स्वीकार करने पर मजबूर किया गया था। उसके बाद 22 दिसम्बर 2007 को दोनों को बाराबंकी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार दिखाया था। इस गिरफ्तारी की सत्यता को परखने के लिए आरडी

निमेष आयोग का गठन किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट में 22 दिसम्बर 2007 को दोनों की बाराबंकी से गिरफ्तारी को संदिग्ध मानते हुए दोषी पुलिस अधिकारियों को चिन्हित कर दंडित करने की सिफारिश की थी। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने इसका काफी विरोध किया। रिहाई मंच द्वारा विधान सभा के सामने 121 दिनों का धरने से बने दबाव के बाद आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक तो किया लेकिन सरकार कार्रवाई रिपोर्ट पेश नहीं की। बताया जाता है कि इस मुद्दे पर अखिलेश सरकार की उदासीनता के पीछे वह सीनियर आईपीएस अधिकारी थे जो इस मामले में फंस सकते थे। उस समय फैज़ाबाद के एसएसपी मनोज कुमार झा थे जो तारिक व खालिद को बाराबंकी से गिरफ्तार दिखाने वाली पुलिस पार्टी को लीड कर रहे थे और उस समय लखनऊ एसटीएफ के एडिशनल एसपी थे। खालिद मुजाहिद की मौत को संदिग्ध मानते हुए परिजनों ने बाराबंकी में 42 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या और हत्या की साज़िश का मुकदमा दर्ज करवाया था जिसकी विवेचना अभी लम्बित है।

अभी कुछ समय पूर्व ही तारिक कासमी को लखनऊ से बाराबंकी जेल हस्तानांतरित कर दिया गया था। कहा गया था कि तारिक कासमी भोपाल जेल जैसी घटना अंजाम देने की साजिश कर रहा है। ज्ञात हो कि भोपाल जेल में निरुद्ध आठ आतंक आरोपियों पर जेल से फरार होने का आरोप लगाकर एक कथित एनकाउंटर में उनकी हत्या कर दी गई थी। तारिक कासमी के परिजनों का कहना है कि पिछले कुछ समय से जेल प्रशासन, लखनऊ जेल में तारिक कासमी को प्रताड़ित करने की घटनाओं में इज़ाफा हुआ था। तारिक ने जेल अधिकारियों पर यातना देने का आरोप लगाते हुए पत्र लिखे थे जिससे क्षुब्ध जेल प्रशासन ने तारिक कासमी पर ही भोपाल जैसी घटना को अंजाम देने की साजिश करने का आरोप लगाकर बाराबंकी जेल भेज दिया। उसके परिजनों ने उस समय भी बाराबंकी जेल में उसकी हत्या की आशंका जताई थी।

वो जेलों में महफूज नहीं

आतंकी घटनाओं के विचाराधीन आरोपियों को जेलों में यातनाएं देने की चर्चा बहुत आम है। जेल में कैद अन्य अपराधियों द्वारा उनके साथ मारपीट करने और जानलेवा हमलों की दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं। जेल प्रशासन पर इस तरह के हमले करवाने के आरोप भी लगे हैं और कई बार जेल प्रशासन ने अनुशासन के नाम पर उन पर लाठियां भी बरसाई हैं।

बिहार के रहने वाले कतील सिद्दीकी को जर्मन बेकरी धमाका और जामा मस्जिद फायरिंग केस का आरोपी बनाया गया था। पुणे की यरवदा जेल में 8 जून 2012 को उसकी हत्या कर दी गई। सीआईडी जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि उसकी हत्या दो मकोका आरोपियों शरद मोहल और अमोल भालेराव ने की थी। यह हत्या किसी विवाद से उपजी हिंसा का नतीजा नहीं थी बल्कि सुनियोजित तरीके से की गई हत्या थी। जयपुर सेंट्रल जेल में सितम्बर 2009 में मोहम्मद सरवर और अन्य को जेल प्रशासन द्वारा उस समय लाठियों से पीटा गया जब वह जेल में ईद की नमाज़ अदा करने की मांग कर रहे थे। दिल्ली में सलमान पर देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में 2010 में धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ। सलमान के मुताबिक जिस समय उस पर हमला हुआ, जेल के अहलकार खामोश तमाशाई बने रहे।

अहमदाबाद के साबरमती जेल में अक्तूबर 2014 में जेल प्रशासन ने विचाराधीन कैदियों को बुरी तरह से पीटा। किसी का हाथ टूटा किसी का पैर। साजिद मंसूरी को इतनी गम्भीर चोटें आयीं कि उसकी मौत की अफवाह तक फैल गई। कुल 22 कैदियों को गम्भीर चोटें आयीं। आज़मगढ़ के मुफ्ती बशर और आरिफ नसीम भी घायल हुए। घटना के बाद जेल प्रशासन ने उल्टे इन कैदियों के खिलाफ मुकदमा भी कायम कर दिया।

दातून, चम्मच, पेन, थाली और 214 फीट लंबी सुरंग

फरवरी 2013 में साबरमती सेंट्रल जेल प्रशासन ने विचाराधीन आतंक आरोपियों पर जेल में दातून, चम्मच, पेन और थाली का इस्तेमाल करके मीडिया रिपोर्टों में पहले 18 फीट फिर 26 फीट लम्बी सुरंग खोदने का आरोप लगाया। जांच के हवाले से कहा गया कि सुरंग 26 फीट नहीं बल्कि 214 फीट लम्बी थी और 16 फीट गहराई में खोदी गई थी। सुरंग खोदने वालों ने 26 फीट पर पत्थर और मिट्टी के गारे की एक दीवार खड़ी कर दी थी जिसकी वजह से जेल प्रशासन पहले उसकी लम्बाई का सही आकलन नहीं कर पाया था।

इस सवाल का जवाब पाना आसान नहीं है कि सात फीट ऊंची और चार फीट चौड़ी इतनी लम्बी सुरंग की मिट्टी कहां गई होगी? मुफ्ती बशर के पिता पक्षाघात के शिकार हैं उनका कहना है कि 'जेल के अंदर हाई सेक्योरिटी ज़ोन में इस तरह की कहानियों पर आप केवल हंस सकते हैं।' जेल प्रशासन ने जेल तोड़ कर भागने का प्रयास करने के आरोप में 24 विचाराधीन कैदियों पर मुकदमा कायम किया, चार्जशीट दाखिल की और अंत में अभियोजन अदालत में अपने आरोपों के पक्ष में साक्ष्य नहीं पेश कर पाया। यह मामला भी अब हाई कोर्ट में है।

9 जून 2013 को तिहाड़ जेल में अफज़ल गुरू को फांसी दी जाती है और अगले ही दिन साबरमती जेल में सुरंग का मामला सामने आ जाता है। क्या इसे मात्र संयोग माना जाए या आतंक की राजनीति का हिस्सा? इसकी एक बड़ी कड़ी जेलों में आतंकवाद के आरोपियों के खिलाफ होने वाली साजिशें भी हैं। भय के इस तरह के वातावरण में ये विचाराधीन कैदी अपने दिन काटने को अभिशप्त हैं। तेलंगाना और मध्यप्रदेश में फर्जी मुठभेड़ों में की जाने वाली हत्याओं के बाद काफी डरे–सहमे हैं।

7 अप्रैल 2015 को तेलंगाना के वारंगल जिले में अदालत में पेशी पर ले जाते समय हथकड़ी बंद आतंकवाद के पांच विचाराधीन कैदियों की हत्या कर दी गई और उसे मुठभेड़ का नाम दे दिया गया। इसी तरह 1 नवम्बर 2016 को भोपाल जेल से निकाल

कर सिमी के आठ विचाराधीन कैदियों की फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई। इस फर्जी मुठभेड़ का वीडियो वायरल हो गया। इसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह जमीन पर पड़े घायल नौजवानों को गोली मारी जा रही है ताकि किसी भी हालत में जीवित न बच पाएं।

राजनीतिक कारणों से उन फर्जी मुडभेड़ों के बारे में कुछ भी कहा जाता हो लेकिन जेलों में इस तरह के कैदियों को उत्पीड़ित करने के लिए मामूली अहलकार तक फर्जी मुठभेड़ों में मार दिए जाने की धमकी देते हैं। जेलों में बंद आज़मगढ़ के युवकों ने अपने परिजनों से मुलाकात में इस बात की आशंका जताई है कि उनके साथ भी कोई बड़ा षड़यंत्र किया जा सकता है। अहमदाबाद में बंद ऐसे ही एक विचाराधीन कैदी के परिजन ने कहा कि मध्यप्रदेश और तेलंगाना में इनकाउंटर के नाम पर मारे गए युवकों की रिहाई करीब थी। यह ऐसे तमाम बच्चों और उनके परिजनों के लिए चेतावनी है कि अगर अदालतों से सज़ा दिलवानें में अभियोजन कामयाब नहीं होता है तो कानून को ठेंगा दिखाते हुए फर्जी मुठभेड़ों में भी मार सकता है। दस–पंद्रह साल की कैद के बाद बेकसूर साबित होकर रिहा हुए नौजवानों के कीमती साल बर्बाद करने के सवालों से बचने के लिए ही इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।

इस तरह के फर्जी इनकाउंटर या जेलों में होने वाली मारपीट का एक बड़ा मतलब होता है कि कैदियों और उनके परिजनों को यह आभास कराया जाए कि वह असहाय हैं और उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। इन्हीं घटनाओं को बहाना बना कर सुरक्षा के नाम पर जेल प्रशासन इन विचाराधीन कैदियों के साथ हर तरह की सख्ती करने का लाइसेंस भी हासिल कर लेता हैं। इन विचाराधीन कैदियों की उनके परिजनों और रिश्तेदारों से मुलाकात की औपचारिकताओं को मुश्किल बनाते जाना भी इसी साज़ि" ा का हिस्सा है।

मुलाकातियों की भी खैर नहीं

जयपुर में संजरपुर, आजमगढ़ के मो0 सैफ के भाई मोहम्मद अरसलान और मो0 सलमान के भाई अरमान को जयपुर पुलिस ने 19 सितम्बर 2015 को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब दोनों अपने भाइयों से मिलने के लिए दिल्ली से बस द्वारा जयपुर गए हुए थे। ऑटो रिक्शा से होटल जाते समय उन्हें रास्ते में उतार लिया गया और आरोप लगाया गया कि दोनों संदिग्ध हालत में गलियों में घूम रहे थे। खबर मिलने के बाद एपीसीआर के मो0 राशिद से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने दोनों की ज़मानत करवाई।

सुरक्षा के नाम पर जेल में पहले लोहे की एक जाली के पीछे से मुलाकात होती थी, बाद में उसे थोड़े से गैप के साथ दो जाली कर दिया गया और अब उसे शीशे से पूरी तरह पैक कर के इंटरकाम से बात करने की नई तरकीब निकाली गई है। अगर कोई रि" तेदार मुलाकात के लिए जाता है तो उसे डराने के लिए एजेंसियों के अधिकारी उसको घटना की जांच के दायरे में खींचने की धमकी देते हैं। परिजनों को अलग तरह से परेशान किया जाता है।

दिल के टुकड़ों की कैद : छिनती अपनों की जिन्दगी

बाटला हाउस फर्जी इनकाउंटर और उसके बाद कई आतंकी घटनाओं में आज़मगढ़ के मुस्लिम नौजवानों के नाम आना परिवारों के लिए ऐसा झटका था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किसी युवक का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं था। आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे या कर चुके इन नौजवानों के सामने भी कैरियर सबसे महत्वपूर्ण था। वे अपने घरों पर भी अपने कैरियर और अपने अनुभवों के आधार पर छोटों के लिए बेहतर शिक्षा और कैरियर की बात किया करते थे। जब आतंकी घटनाओं में लिप्त होने की खबरें इन परिवारों तक पहुंचीं तो वह सारी सुनहरी यादें बुरे सपने में बदल गईं।

सबसे अधिक प्रभावित हुईं घर की महिलाएं, माएं और बहनें। बच्चे तो 'पुलिस' और 'पत्रकार' का नाम ही सुनकर डर जाते थे क्योंकि उन दिनों यही दो शब्द उनके घरों और आसपास पहुंचने वालों के परिचय में इन्हीं दो शब्दों का प्रयोग सबसे अधिक होता था। अपना दुख व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। यह सब केवल महिलाओं और बच्चों तक सीमित नहीं था कई पुरूष अभिभावकों की हालत उससे भी खराब थी क्योंकि उन्हें अपने घर से बाहर एजेंसियों और पत्रकारों के सवाल झेलने होते थे तो अंदर महिलाओं और बच्चों को भी संभालने की ज़िम्मेदारी थी। कई अभिभावक तो उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपने दुख सीने में दबाए दुनिया से रुखसत हो गए।

बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए साजिद छोटा के पिता डाक्टर अंसारुल हस्सान इस घटना के बाद बिल्कुल बुत बन गए थे। उन्होंने किसी से बातचीत करना बंद कर दिया था। स्वास्थ्य इतना गिर गया था कि चलता–फिरता ढांचा ही बचे थे। कई बार उनकी मौत की अफवाहें भी फैली। साजिद की मां बिस्तर तक सीमित हो गई

थीं। उसकी मां तो संभल गयीं लेकिन डाक्टर पिता उसी सदमे में दुनिया से चल बसे।

आरिफ बदर के पिता बदरुद्दीन बेटे की गिरफ्तारी के बाद चारपाई पर पड़ गए तो उसके बाद उठ ही नहीं सके और उनकी मौत हो गई। उसकी मां का दिमागी संतुलन बिगड़ गया और अब तक उनकी स्थिति वैसी ही है।

आरिज़ खान के पिता जफर आलम को बेटे के लापता होने के बाद कुछ दिनों तक उम्मीद थी कि उनका बेटा कहीं से वापस ज़रूर आ जाएगा लेकिन आशा निराशा में बदलती गई और बेटे का दुख लिए हुए वह दुनिया से चले गए।

मोहम्मद सलमान अपनी तीसरी पीढ़ी के बच्चों में सबसे बड़ा और अपने दादा शमीम अहमद को उतना ही प्यारा था। उनके लिए उसकी गिरफ्तारी काल बन कर आई। अबू राशिद के पिता एखलाक अहमद अपने सबसे छोटे बेटे के लापता हो जाने के बाद छुप–छुप कर रोते और दुआएं किया करते थे। उसी ग़म में उनकी भी मृत्यु हो गई। उसके एक भाई को दिल का दौरा भी पड़ा।

सरवर के पिता और गणित के अध्यापक मास्टर हनीफ महीनों तक बेटे के गम में घुलते रहे। उनकी हालत ऐसी नहीं रह गई थी कि अपने बेटे से मिलने जयपुर जा सकें। बहुत इलाज के बाद थोड़े दिनों तक ठीक रहे। पांच साल बाद बेटे से मिलने जयपुर गए। लेकिन अपने को बहुत दिनों तक संभाल नहीं पाए। गहरे अवसाद में हैं। खुद से खाना भी नहीं खा सकते।

मुफ्ती बशर की नई–नई शादी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद बेटी पैदा हुई। बेटी अब दसवें साल में है।

आरिफ बदर घर का अकेला कमाने वाला सदस्य था। दो कम उम्र बेटियों, एक छोटे बेटे और मानसिक असंतुलन का शिकार हो चुकी मां का बोझ पति की गिरफ्तारी के सदमे से निढाल उसकी पत्नी के लिए कितनी बड़ी परीक्षा रही होगी इसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है।

ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को इस त्रासदी से गुज़रता देख कर आनंद का अनुभव हो रहा था। शायद इसीलिए जब उन्होंने डाक्टर जावेद अखतर को विचलित नहीं पाया तो कई बार उनकी आत्महत्या की अफवाह उड़ाई। कई तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव भी डाला गया लेकिन वह डटे रहे। शायद यही वजह थी कि आधा दर्जन से अधिक मुकदमों में दस साल बीत जाने के बाद

भी कोई निस्तारण के करीब नहीं पहुंचा लेकिन 21 फरवरी 2013 को होने वाले दिलसुखनगर धमाके का फैसला 13 दिसम्बर 2013 को आ गया और डाक्टर साहब के बेटे असदुल्लाह अखतर को मृत्युदंड दे दिया गया। एफआईआर लिखे जाने से फैसले तक का सफर मात्र 10 महीना 22 दिन में तय हो गया। फिर भी हर प्रतिकूल परिस्थिति का मुकाबला करते हुए पूरे हौसले के साथ अदालती लड़ाई जारी है।

सबने कहा फर्जी

बाटला हाउस कांड कांग्रेस सरकार में हुआ। सुरक्षा–खुफिया एजेंसियों की इस कारस्तानी ने वर्तमान सत्ताधारी भाजपा के एजेंडे को ही मजबूत किया कि हिंदुस्तान का मुसलमान आतंकवादी घटनाओं का हथियार ही नहीं बल्कि इंडियन मुजाहीदीन नाम का आतंकी संगठन भी बनाता है। साजिद और आतिफ को बाटला हाउस फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने के पुलिस के दावे पर देश के प्रमुख राजनीतिक दलों ने सवाल खड़े किए और न्यायिक जांच की भी मांग की। सीपीएम की सुभाषिनी अली, सीपीआई के अतुल कुमार अंजान ने जहां संजरपुर का दौरा किया वहीं मुलायम सिंह यादव ने जनसभा की और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। इस घटना के बाद नेलोपा नेता तारिक शमीम की गिरफ्तारी हुई और इस फर्जी मुठभेड़ को बाद राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का गठन हुआ। इस घटना का असर राष्ट्रीय स्तर पर था इसीलिए ममता बनर्जी ने भी मुठभेड़ को गलत बताते हुए निंदा की। वर्तमान एनडीए में शामिल राम विलास पासवान और उदित राज ने भी घटना की निंदा की। बाद में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी संजरपुर का दौरा कर घटना पर सवाल किया।

किस तरह भूलें हम इस शहर के हंगामे,
हर दर्द अभी बाकी है हर जख्म अभी ताज़ा है ।

सागर आज़मी

lg;kx& 50 #i,



रिहाई मंच
Rihai Manch

110/60, Harinath Banerjee Street,
Naya Gaaon (E), Latouche Road, Lucknow- 226001
facebook.com/rihaimanch - twitter.com/RihaiManch
WhatsApp Hi.. Rihai Manch 9452800752